

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुकौली गणकोट से रावलगाँव मोटर मार्ग का निर्माण।

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुकौली गणकोट से रावलगाँव मोटर मार्ग का निर्माण की स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या 5150/111(2)/10-18(प्र0आ0)/2010 दिनांक 16/08/2010 द्वारा रु0 25.20 लाख स्वीकृत हुआ है। जिसमें 9.00 मीटर चौड़ाई के अनुसार राज्य भूमि 0.765 हे0 नाप भूमि 0.81 हे0 प्रभावित होती है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से गणकोट की कुल जनसंख्या 516 लाभान्वित होगी। वैकल्पिक समरेखण उपयुक्त न होने के कारण प्रस्तावित समरेखण में प्रभावित होने वाली 0.765 हे0 राज्य वन भूमि न्यूनतम है जो उपयुक्त समरेखण है।

वन भूमि में मोटर मार्ग प्रस्तावित करने का औचित्य:-

1. राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष राज्य भूमि क्षेत्र लगभग 60 प्रतिशत है। जबकि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में कम प्रतिशत ही राज्य भूमि का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि औचित्य पूर्ण है।
2. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने एवं कास्तकारों के छोटे छोटे भागों में भू-स्वामित्व होने के कारण मोटर मार्ग को सम्पूर्ण ल0 में नाप भूमि में बनाया जाना सम्भव नहीं है।
3. इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग को आरक्षित वन क्षेत्र की निगरानी में सहुलियत होगी।
4. दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण दो से अधिक विकल्पों में विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है दो समरेखणों में सर्वेक्षण करने के पश्चात भू-वैज्ञानिक के रिपोर्ट, मोटर मार्ग की ल0 कम होने, अधिक जनसंख्या लाभान्वित होने, वृक्षों से कम प्रभावित होने तथा उत्सर्जित मलवे की मात्रा कम होने के कारण एक मात्र यही समरेखण मोटर मार्ग निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त पाया गया।

5. अतः प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति उपरान्त मार्ग का कार्य किया जाना सम्भव होगा। जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। ताकि मार्ग का निर्माण कार्य किया जा सके।

सहायक अधीक्षक
राज्यीय खण्ड ले0नि0
पिथौरागढ़

अधीक्षक अधीक्षक
राज्यीय खण्ड ले0नि0
पिथौरागढ़